2024/379 D

210

28/6/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां
(डीडवाना–कुचामन)

(पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना)

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती " प्रार्थना पत्र एवं पटवारी इन्दोखा व भू.अ.नि. इन्दोखा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार नावां की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कांकरिया तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 में खाता संख्या 71,90 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :–

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कांकरिया	71, 90	श्योबक्स पुत्र श्योदान जाति गुर्जर	बक्षाराम पुत्र श्योदान राम जाति गुर्जर

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां
उपखण्ड अधिकारी, नावां
(डीडवाना–कुचामन)
दिनांक :– 28/6/24

क्रमांक/रीडर/2024/ 286

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बक्षाराम डो० श्योदान राम गुर्जर मि० कांकरिया तह० नावां को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी
कोर्ट नावां
उपखण्ड अधिकारी, नावां
(डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 15:28:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner